<u>मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था</u>

<u>सेवा भरती नियम 1990</u>

भोपाल, दिनांक 23–03–1991

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रबंध संचालक, संस्था के नियमान्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्था की अलिपिक वर्गीय एवं लिपिक वर्गीय सेवा में भरती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(SHORT TITLE AND COMMENCEMENT)

(क) ये नियम मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कर्मचारियों के सेवा–भरती नियम, 1990 कहलायेगें। ये नियम उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करेंगे।

(ख) ये नियम संस्था के संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषायें

(DEFINITIONS)

इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्त अधिकारी'' से तात्पर्य प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए संचालक मण्डल के अध्यक्ष तथा शेष के लिए प्रबंध संचालक से है।

(ख) ''समिति'' से तात्पर्य नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा सीधी भरती या पदोन्नति हेतु अनुशंसा करने हेतु गठित समिति से है।

(ग) ''परीक्षा'' से तात्पर्य इन नियमों के नियम (11) के अधीन चयन हेतु आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षा से है।

(घ) ''प्रबंध संचालक'' से तात्पर्य संस्था के संचालन हेतु संचालक मण्डल द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है।

(ड) ''संचालक मण्डल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालन हेतु मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1973 के प्रावधान के अंतर्गत गठित संचालक मण्डल से है।

(च) ''संस्था'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से है।

(छ) ''सेवा'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था सेवा से है।

(ज) ''अनुसूची'' से तात्पर्य इन नियमों के संलग्न अनुसूची से है।

(झ) ''राज्य'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति

(SCOPE AND ALLPLICATION)

ये नियम संस्था में प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे। ऐसे प्रकरण में जिनके विषय में इन नियमों में कोई उल्लेख नहीं है, वहां शासन के मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 लागू होंगे।

4. सेवा का गठन

(CONSTITUTION OF THE SERVICES)

सेवा में निम्नलिखित कर्मचारी होंगे। अर्थातः

(1) वे कर्मचारी जो इन नियमों के प्रभावशील होने के समय अनुसूची –एक में निर्दिष्ठ पद पर कार्यरत रहे हों।

(2) वे कर्मचारी जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों, तथा

(3) वे कर्मचारी जो इन नियमों के अनुसार संस्था की सेवा में भरती किये जायें।

(4) विलोपित।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि

(CLASSIFICATION, SCALE OF PAY ETC.)

सेवा का वर्गीकरण उसका वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या संलग्न अनुसूची–एक में दर्शाये अनुसार होगी, परन्तु संस्था का संचालक मण्डल इस संबंध में शासन द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों के अधीन रहते हुए सेवा में शामिल पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार स्थाई अथवा अस्थाई रूप से पदों की संख्या या वेतनमानों में परिवर्तन या संशोधन कर सकेगा।

6. भरती की प्रक्रिया

(METHOD OF RECRUITMENT)

(1) इन नियमों के प्रभावशील हो जाने के बाद सेवा में भरती, निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर की जावेगीः–

(क) (1) प्रतियोगिता तथा यथा आवश्यक साक्षात्कार से चयन करके सीधी भरती द्वारा।

(2) संस्था में सहायक बीज प्रमा.अधिकारी के पद पर प्रथमतः, 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जाकर परिवीक्षाकाल में संतोषजनक कार्य होने पर उन्हें नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा म.प्र.सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के प्रावधानों के तहत नियमित किया जायेगा।

(3) **विलोपित।**

(ख) मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मूल पदों पर नियुक्ति अनुसूची–2 में दर्शाये अनुसार होगी।

(ग) विलोपित।

(2) उप नियम (1) के अनुसार भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या (जैसा कि अनुसूची –एक में उल्लेखित है) अनुसूची–दो में दर्शाये गये स्वीकृत पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी तथा अनुसूची–दो के कॉलम–8 के प्रावधान का पालन अनिवार्य होगा।

(3) **विलोपित।**

(4) उम्मीदवार की नियुक्ति/पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा विभिन्न संवर्गों के लिए जो निर्धारित कोटा आरक्षित किया गया है एवं नियुक्ति/पदोन्नति के लिए जो सामान्य सिद्धांत/प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उसका यथावत पालन अनिवार्य होगा।

<u>अतिरिक्त प्रावधान –</u>

(5) **"संस्था में नियुक्ति के समय चयनित आवेदकों को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके परिवार एवं रिश्तेदारों** (First Blood relation) **में से कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बीज उत्पादन, बीज विपणन व अन्य बीज व्यापार संबंधी सभी गतिविधियों में से किसी में भी संलिप्त है/नहीं है। यदि हैं, तो निर्धारित शपथ–पत्र में इसका पूर्ण विवरण भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष 31 मार्च की स्थिति में स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर दिया जाना अनिवार्य होगा"।**

7. सेवा में नियुक्ति

(APPOINTMENT TO THE SERVICE)

इन नियमों के लागू होने के उपरांत सभी नियुक्तियां "नियुक्तिकर्ता अधिकारी" द्वारा भरती नियमों के प्रावधान के अनुसार की जावेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–6 में उल्लेखित भरती की प्रक्रियाओं में से, किसी एक तरीके के द्वारा चयन करने के अतिरिक्त, कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जावेगी।

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें

(CONDITIONS OF ELIGIBILITY OF DIRECT RECRUITS)

(1) क/ चयन के आरंभ के दिनांक के पश्चात आने वाली पहली जनवरी को उसने अनुसूची – तीन के खाना (3) में दिये अनुसार आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु अनुसूची तीन के खाना 4 में दर्शायी गई आयु सीमा पूरी न की हो।

ख/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य वर्गों के उम्मीदवारों हेतु अधिकतम आयु सीमा में शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह तथा इस संबंधी जो नियम शासन द्वारा प्रसारित किये गये हैं वह यहां भी लागू रहेंगे।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं : उम्मीदवार के पास अनुसूची तीन में दर्शाई गई शैक्षणिक अर्हताऐं होनी चाहिये। परन्तु अपवादित मामलों में समिति की अनुशंसा पर संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही किसी ऐसे उम्मीदवार को, अहर्ता प्राप्त उम्मीदवार मान सकेगी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में निर्धारित अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं से परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो समिति की राय में उम्मीदवार के चयन हेतु विचारार्थ उचित मान ली गई हो।

(3) विलोपित

(4) विलोपित

9. अनर्हतायें

(DISQUALIFICATION)

उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी माध्यम से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास, समिति द्वारा उम्मीद्वार को चयन के लिए अनर्हताकारी ठहरा देगा।

10. उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में नियुक्तिकर्ता का निर्णय अंतिम

(EMPLOYER'S DECISION ABOUT THE ELIGIBILITY OF CANDIDTE FINAL)

परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

11. समिति द्वारा अनुशंसित किये गये उम्मीदवारों की सूची

(LIST OF CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMITTEE)

(1) समिति सेवा में नियुक्ति हेतु निश्चित मानकों के अनुसार अर्हता वाले उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम तथा विवरण, योग्यता क्रम के अनुसार सूचीबद्ध करेगी एवं यह सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी जो एक वर्ष के लिये वैध रहेगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम 1961 के उपबंधों के अधीन रिक्तियों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों पर, उसी क्रम से विचार किया जावेगा, जिस क्रम में समिति द्वारा उनका नाम सूची में उल्लेखित किया गया है।

(3) समिति द्वारा प्रस्तुत सूची में नाम सम्मिलित किया जाना, उम्मीदवार को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता। नियुक्तिकर्ता अधिकारी सेवा में तभी नियुक्ति करेगा, जब वह आवश्यक चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ परीक्षण आदि की जांच करने के उपरांत उम्मीदवार की उपयुक्तता के लिए सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाये।

12. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति

(APPOINTMENT BY PROMOTION)

(1) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन के लिए संलग्न अनुसूची– चार में उल्लेखित सदस्यों वाली एक समिति गठित की जावेगी।

(2) विलोपित।

अतिरिक्त प्रावधान :–

(3) पदोन्नति के प्रकरणों में म.प्र.लोक सेवा(पदोन्नति) नियम 2002 के प्रावधान लागू होंगे।

13. पदोन्नति हेतु पात्रता संबंधी शर्ते

(CONDITIONS OF ELIGIBILITY FOR PROMOTION)

समिति उन सभी मामलों पर विचार करेगी, जिन्हें उस वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूची–दो के कालम–8 में उल्लेखित पद पर सेवा पूर्ण कर ली हो।

14. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना
(PREPARATION OF LIST OF SUITABLE PERSONS)

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो उपयुक्त नियम में निर्धारित शर्त को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति हेतु उपयुक्त समझती हो। यह सूची एक वर्ष तक होने वाले रिक्त पदों को भरने हेतु पर्याप्त रहेगी।
(2) विलोपित।
(3) विलोपित।
(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची की वैधता एक वर्ष रहेगी, जिसे विशेष परिस्थितियों में संचालक मण्डल द्वारा छः माह के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।
(5) विलोपित।
(6) विलोपित।

15. प्रवर सूची से सेवा में नियुक्ति
(APPOINTMENT TO THE SERVICE FROM THE SELECT LIST)

प्रवर सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग के अंतर्गत, पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जावेंगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रवर सूची में होंगे।

16. निर्वचन
(INTERPRETATION)

यदि इन नियमों के निर्वचन में कोई प्रश्न उठे तो उस पर संचालक मण्डल का निर्णय अंतिम होगा। परन्तु इन नियमों के अतिरिक्त किसी मामले में यदि नियम मौन है तो, उस दशा में राज्य शासन के नियमों को लागू माना जावेगा।

17. राज्य शासन के निर्देश की शक्तियां
(POWERS TO THE STATE GOVT.)

इन नियमों के अंतर्गत कोई भी प्रावधान के रहते हुए नियुक्ति/पदोन्नति के किसी भी विशेष प्रकरण में कोई अनियमितता प्रमाणित होने पर, राज्य शासन ऐसी नियुक्ति निरस्त करने के निर्देश लिखित कारण सहित प्रबंध संचालक को दे सकेगा और ऐसे निर्देश प्रबंध संचालक पर अंतिम रूप से बंधनकारी होंगे।

18. निरसन और व्यावृति
(REPEAL AND SAVING)

इन नियमों के सभी तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लागू सभी नियम इसके द्वारा इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं। परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

''अनुसूची – एक''

(नियम –5 देखिये)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4	5
(1)	**कार्यपालिक संवर्ग**			
1	प्रबंध संचालक	1	प्रथम श्रेणी	रू.37400–67000+रू.8900
2	मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	1	––''––	रू.37400–67000+रू.8700
3	संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	3	––''––	रू.15600–39100+रू.7600
4	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	11	––''––	रू.15600–39100+रू. 6600
5	बीज परीक्षण अधिकारी	04	––''––	रू.15600–39100+रू. 6600
6	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	25	द्वितीय श्रेणी	रू.15600–39100+रू.5400
7	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	220	तृतीय श्रेणी	रू.9300–34800+रू.3200
8	बीज विश्लेषक	16	––''––	रू.9300–34800+रू.3200
9	बीज रोग विशेषज्ञ	04	––''––	रू.9300–34800+रू.3200
(2)	**लिपिक संवर्ग**			
10	लेखाधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	रू.15600–39100+रू.5400
11	प्रशासनिक अधिकारी	1	––''––	रू.9300–34800+रू.4200
12	शीघ्रलेखक	2	तृतीय श्रेणी	रू.5200–20200+रू.2800
13	सहायक ग्रेड–1	1	––''––	रू.5200–20200+रू.2800
14	सहायक ग्रेड–2	15	––''––	रू.5200–20200+रू.2400
15	लेखापाल	1	––''––	रू.5200–20200+रू.2400
16	सहायक ग्रेड–3	46	––''––	रू.5200–20200+रू.1900
17	स्टेनो टाइपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर	08	––''––	रू.5200–20200+रू.1900
(3)	**अलिपिक संवर्ग**			
18	प्रयोगशाला सहायक	24	––''––	रू.5200–20200+रू.1900
19	वाहन चालक	11	––''––	रू.5200–20200+रू.1900
20	लिफ्टमैन	1	––''––	रू.5200–20200+रू.1900
21	प्रयोगशाला परिचारक	12	चतुर्थ श्रेणी	रू.4440–7440+ रू.1300
22	भृत्य	44	––''––	रू.4440–7440+ रू.1300
23	चौकीदार	15	––''––	रू.4440–7440+ रू.1300

"अनुसूची – दो"

(नियम –6 देखिये)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	सेवा का नाम	कुल पदों की संख्या	सीधी भरती के लिये नियम –6 (क) अनुसार	सेवा में कुल स्थानापन्न सदस्यों को पदोन्नति नियम–6(ख) के अनुसार	अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) कार्यपालिक संवर्ग							
1	प्रबंध संचालक	प्रथम श्रेणी	1	–	–	100 प्रतिशत	–
2	मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,	––"––	1	–	–	100 प्रतिशत	–
3	संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––"––	3	–	100 प्रतिशत	–	**पदोन्नति हेतु :** प्रथम श्रेणी पद पर 5 वर्ष का अनुभव
4	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	––"––	11	–	100 प्रतिशत	–	द्वितीय श्रेणी पद पर 5 वर्ष का अनुभव
5	बीज परीक्षण अधिकारी	––"––	4	–	100 प्रतिशत	–	––"––
6	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	25	–	100 प्रतिशत	–	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव
7	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	तृतीय श्रेणी	220	100 प्रतिशत	–	–	–
8	बीज विश्लेषक	––"––	16	100 प्रतिशत	–	–	वर्ष 1990 के पूर्व नियुक्त कर्मचारी सेवानिवृत्त होने पर रिक्त पदों को सहायक बीज प्रमा. अधिकारी के संवर्ग में शामिल किया जायेगा।
9	बीज रोग विशेषज्ञ	––"––	4	100 प्रतिशत	–	–	–
(2) लिपिक संवर्ग							
10	लेखाधिकारी	द्वितीय	1	–	–	100 प्रतिशत	–

11	प्रशासनिक अधिकारी	—''—	1	—	—	100 प्रतिशत	—
12	शीघ्रलेखक	—''—	2	100 प्रतिशत	—	—	—
13	सहायक ग्रेड–1	—''—	1	—	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड–2 के पद पर 5 वर्ष का अनुभव
14	सहायक ग्रेड–2	—''—	15	—	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड–3 के पद पर 5 वर्ष का अनुभव
15	लेखापाल	—''—	1	—	100 प्रतिशत	—	सहायक ग्रेड–3 के पद पर 5 वर्ष का अनुभव एवं लेखापाल के पद पर पदोन्नति हेतु म0प्र0 शासन द्वारा संचालित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य।
16	सहायक ग्रेड–3	—''—	46	100 प्रतिशत	—	—	—
17	स्टेनो टाइपिस्ट/कम्प्यूटर ऑपरेटर	—''—	8	100 प्रतिशत	—	—	—
(3) अलिपिक संवर्ग							
18	प्रयोगशाला सहायक	—''—	24	100 प्रतिशत	—	—	—
19	वाहन चालक	—''—	11	100 प्रतिशत	—	—	—
20	लिफ्टमैन	—''—	1	100 प्रतिशत	—	—	—
21	प्रयोगशाला परिचारक	चतुर्थ	12	100 प्रतिशत	—	—	—
22	भृत्य	—''—	44	100 प्रतिशत	—	—	—
23	चौकीदार	—''—	15	100 प्रतिशत	—	—	—

'अनुसूची – तीन''

(नियम –8 देखिये)

क्र.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यताऐं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
(1) कार्यपालिक संवर्ग					
1	सहायक बीज प्रमा. अधिकारी	**शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम/अधितम आयु सीमा के अनुसार**		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक के साथ निम्नलिखित क्रम से विषयों में प्राथमिकता के आधार पर स्नातकोत्तर उपाधि :–1. प्लॉट ब्रीडिंग एण्ड जेनेटिक्स, 2. एग्रोनामी 3. पादप कार्यिकी (Plant Physiology)	
2	बीज विश्लेषक	––''––		––''––	
3	बीज रोग विशेषज्ञ	––''––		मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक के साथ पौध रोग विज्ञान (Plant Phythology) में स्नातकोत्तर उपाधि	
(2)	**लिपिक संवर्ग**				
4	शीघ्रलेखक	––''––		शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप	
5	सहायक ग्रेड–3	––''––		–––''–––	
6	स्टोनो टाईपिस्ट/ कम्प्यूटर ऑपरेटर	––''––		–––''–––	
(3) अलिपिक संवर्ग					
7	प्रयोगशाला सहायक	––''––		विज्ञान समूह लेकर (भौतिक/रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान) 10+2 उत्तीर्ण	
8	वाहन चालक	––''––		शासन द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप	
9	लिफ्टमैन	––''––		–––''–––	
10	प्रयोगशाला परिचारक	––''––		–––''–––	
11 12	भृत्य चौकीदार	––''––		–––''––– –––''–––	

“अनुसूची – चार”

(नियम–12 देखिये)

म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के कार्यपालिक, लिपिक एवं अलिपिक संवर्ग की सेवायें

(अ) संस्था के प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति :–

स.क्र.	अधिकारी का पद नाम	विभागीय पदोन्नति समिति के पदाधिकारी
1	**प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र.शासन, भोपाल**	**अध्यक्ष**
2	**प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल**	**सदस्य**
3	**प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, भोपाल**	**सदस्य**
4	**शासकीय अनुसूचित जाति/जन जाति का राजपत्रित अधिकारी (प्रथम श्रेणी)**	**सदस्य**
5	**शासकीय अल्पसंख्यक वर्ग का राजपत्रित अधिकारी (प्रथम श्रेणी)**	**सदस्य**

(ब) तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति :–

स.क्र.	अधिकारी का पद नाम	विभागीय पदोन्नति समिति के पदाधिकारी
1	**प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था**	**अध्यक्ष**
2	**प्रथम श्रेणी अधिकारी**	**सदस्य (अनुसूचित जाति/जन जाति)**
3	**संचालक, अनुसंधान सेवायें, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष)**	**सदस्य**
4	**संचालक, अनुसंधान सेवायें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष)**	**सदस्य**
5	**संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रतिनिधि (संयुक्त संचालक/अपर संचालक स्तर के अधिकारी)**	**सदस्य**